न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3025 /विधि सहरसा, दिनांक 12-10-2023

प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0-66/2022 में दिनांक-10.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय बासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद सं0-05/2017 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक पृ0सं0-01 से 12 तक एवं अन्य कागजात-13 से 94 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपिः- उमेश चन्द्र झा, पिता-स्व0 यदुनन्दन झा / रिकु राम व प्रमोद कुमार राम व पिंकू राम तीनो पिता-स्व0 चलित्तर राम, सभी सा0 व पो0-सिंधार, थाना वं अंचल-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

फॉर्म सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

.....से.....तक

पत्रक - ता0....., सं0....., सन् १९.....

ना.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपीलवाद संख्याः-66/2022

उमेशचन्द्र झा.....अपीलकर्त्ता

-बनाम-

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद उमेशचन्द्र झा, पिता-स्व0 यदुनन्दन झा, सा0-सिंघार, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा दायर वासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद सं0-05/2017 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें रिंकु राम व प्रमोद कुमार राम व पिंकु राम तीनों पिता-स्व0 चलितर राम सभी सा0-सिंघार, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को प्रतिवादी बनाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	चौहद्दी
सिंहार/86/2	118	760	12 डी0	

आवेदक का मूलरूप से कहना है कि वासगीत पर्चा वाद सं0-60/2013-14 एवं 61/2013-14 चलितर राम, पिता-स्व0 शिबू राम, सा0-सिंहार, थाना+अंचल-आलमनगर, जिला-मधेपुरा के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। उक्त वाद के आदेश फलक में हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन, अंचल अमीन का नजरी नक्शा तथा भू-स्वामी को सूचना निर्गत किये जाने का तथ्य सही नहीं है। उक्त वासगीत पर्चा वाद में हल्का कर्मचारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर वर्षो से आवेदकों का आवासीय घर है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उनकी भूमि का वासगीत पर्चा विपक्षियों के नाम से निर्गत किये जाने

से पूर्व उन्हें किसी प्रकार की सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं कराया गया ताकि वे ससमय अपनी आपत्ति दर्ज करा पाते, किन्तु गलत ढंग से तामिला का बिना जाँच पड़ताल कराये आदेश फलक में दिनांक 01.10.2013 को सूचना का तामिला प्राप्त अंकित करते हुए वासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि वर्ष 2016 में अंचल अमीन से प्रश्नगत भूमि की नापी करायी गई तथा उनके द्वारा नापी प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि के साथ ही अन्य भूमि की जमाबंदी सं0-202 नामे उमेशचन्द्र झा, पिता-यदुनन्दन झा तथा वर्ष 2015-16 तक लगान प्राप्त होना अंकित किया गया है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण का किसी प्रकार का रहन-सहन वो घर नहीं पाया गया। अंचल अधिकारी, आलमनगर के द्वारा नाजायज ढंग से चलितर राम के नाम से उनकी प्रश्नगत भूमि का पर्चा निर्गत किये जाने की जानकारी मिलने पर उनके द्वारा समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में दिनांक 27.01.2017 को वासगीत पर्चा पुनरीक्षणवाद दायर किया गया, जिसमें कोरोना काल में न्यायालय कार्य स्थगित रहने के दौरान वादी को अनुपस्थित दिखाते हुए दिनांक 13.04.2021 को बैक डेटिंग आदेश बिना सुनवाई के पारित कर दिया गया। उनका कहना है कि वर्ष 2008 ई0 में कुसहा त्रासदी में चलित्तर राम आवेदक के जमीन के बगल में माल-मवेशी लेकर रहने आये तथा समय के साथ वे सड़क के बगल में आवेदक की भूमि का अंचल अधिकारी व हल्का कर्मचारी के मेल से गलत ढंग से वर्ष 2013 में वासगीत पर्चा प्राप्त कर लिये। विपक्षी चलित्तर राम भूमिहीन नहीं है। उनकी पत्नी मीरा देवी के नाम खाता-20, खेसरा-852, रकवा-$62\frac{3}{4}$ डी0 की जमाबंदी सं0-717 दाखिल खारिज केश नं0-3974 वर्ष 2009-10 तथा दादा शिबू मोची के नाम खेसरा 747, रकवा-02 डी0, जमाबंदी नं0-149 की भूमि है। इसके अतिरिक्त शिबू राम के नाम से परमानगी पर्चा खाता-874, रकवा 25 डी0 पूर्व से प्राप्त है, जिसपर विपक्षी वर्ष 1991 से रहते आ रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2016 में अंचल अमीन के द्वारा नापी कर दी गई तथा उनके प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नया घर बनाने पर विवाद हुआ, जिसमें धारा-107 द0प्र0स0 की कार्यवाही भी हुई तथा जनता दरबार में विपक्षी को नया घर नहीं बनाने हेतु हिदायत दिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा गलत वासगीत पर्चा के विरूद्ध वाद दायर किया गया। उक्त के आलोक में उनके द्वारा वासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद सं0-05/2017 में पारित आदेश को निरस्त करने तथा उनके अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जवाब

दाखिल करतें हुए बताया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा उन्हें तंग तवाह करने के लिए प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि अपीलार्थी के पूर्वजों ने ही विपक्षीगण के पिता स्व0 चलितर राम के पूर्वजों को उनके परिवारजनों का सेवा सुश्रुषा के बदले बसाया था। उक्त के आधार पर उनकी कब्जा वाली भूमि का वासगीत पर्चा उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त वर्ष 2013-14 में वाद सं0-60 एवं 61 के माध्यम से दिया गया तथा वासगीत पर्चा वाली भूमि पर चलितर राम तथा उसके वारीसान शान्तिपूर्वक घर दरवाजा, बाड़ी-झाड़ी, माल-मवेशी का घर बनाकर गुजर-बसर करते आ रहे हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा वाद विचारण के दौरान समाहर्त्ता, मधेपुरा को समर्पित प्रतिवेदन से होती है। उनका कहना है कि वे लोग भूमिहीन अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं, जिसके आधार पर समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा स्थलीय जाँच करवाने के उपरान्त पारित आदेश सही है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी के द्वारा बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अधिनियम, 1947 व नियमावली, 1948 के अन्तर्गत अपीलवाद दाखिल किया गया है, जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः इस अपीलवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

10/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

10/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।